हिन्दी पाक्षिक

महानगर स्तंभ

RNI NO. RAJHIN/2017/70561 Postal Reg.No. JAIPUR CITY/221/2020-22

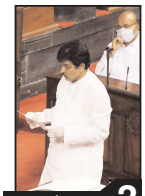

पृष्ठ संख्या.... 3

❐ वर्ष-4 ❐ अंक-15 जयपुर, शनिवार 1 अगस्त, 2020 ❐ एक प्रति 5 रुपये ❐ कुल पृष्ठ-4

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दी मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। 34 साल बाद आई शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एकसमान पहुंच सुनिश्चित करना

एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एकसमान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस नई शिक्षा नीति में छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नजर रखने, औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, परामर्शदाताओं या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ने, कक्षा 3, 5 और 8 के लिए एनआईओएस और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन-संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं। एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।

प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा

बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते स्कूल पाठ्यक्रम के 10 . 2 ढांचे की जगह 5 . 3 . 3 . 4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3-6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में तीन साल की आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (एनसीपीएफईसीसीई) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनवाडी और प्री-स्कूल भी शामिल होंगे जिसमें इसीसीई शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। इसीसीई की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान

बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए 'एनईपी 2020' में मानव संसाधन

विकास मंत्रालय द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जानी है।

पाठ्यक्रम और अध्यापन-कला में सुधार

स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन-कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाए और आवश्यक ज्ञान प्राप्ति एवं अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने व अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए। विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। कला एवं विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी। स्कूलों में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 'एनसीएफएसई 2020-21' एनसीईआरटी द्वारा विकसित की जाएगी।

बहुभाषावाद और भाषा की ताकत

नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक, अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उससे आगे भी मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रि-भाषा फॉर्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत 6-8 ग्रेड के दौरान किसी समय 'भारत की भाषाओं' पर एक आनंददायक परियोजना या गतिविधि में भाग लेना होगा। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। भारतीय संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज (आईएसएल) को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएंगी।

आकलन में सुधार

'एनईपी 2020' में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता-आधारित है, सीखने के साथ-साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है, और उच्चस्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन-मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे, जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएंगी। ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र 'परख (समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।

समान और समावेशी शिक्षा

'एनईपी 2020' का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर रहेगा जिनमें बालक-बालिका, सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल हैं। इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक-बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक की नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा जिसमें शिक्षाविशारद का पूरा सहयोग मिलेगा और इसके साथ ही दिव्यांगता संबंधी समस्त प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी-आधारित उपयुक्त उपकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक राज्य या जिले को कला-संबंधी, कैरियर-संबंधी और खेलकूद-संबंधी गतिविधियों में विद्यार्थियों के भाग लेने के लिए दिन के समय वाले एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में 'बाल भवन' स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल की निःशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकता है।

प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और स्कूल प्रशासन

शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी जिसमें कई स्रोतों से समय-समय पर कार्य-प्रदर्शन का आकलन करने और करियर में आगे बढ़कर शैक्षणिक प्रशासक या शिक्षाविशारद बनने की व्यवस्था होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (एनपीएसटी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है जो प्रशासन (गवर्नेंस) की मूल इकाई होगा और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों और एक प्रभावकारी प्रोफेशनल शिक्षक-समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

स्कूली शिक्षा के लिए मानक-निर्धारण एवं प्रत्यायन

एनईपी 2020 नीति निर्माण, विनियमन, प्रचालनों तथा अकादमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट, पृथक प्रणाली की परिकल्पना करती है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथारिटी (एसएसएसए) का गठन करेंगे। सभी मूलभूत नियामकीय सूचना का पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटन, जैसाकि एसएसएसए द्वारा वर्णित है, का उपयोग व्यापक रूप से सार्वजनिक निगरानी एवं जवाबदेही के लिए किया जाएगा। एससीईआरटी सभी हितधारकों के परामर्श के जरिये एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना (एसक्यूएएएफ) का विकास करेगा।

समग्र बहुविषयक शिक्षा

नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाणन के साथ मल्टीपल एंट्री एवं एक्जिट बिन्दुओं के साथ व्यापक, बहुविषयक, समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। यूजी शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एक्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। उदाहरण के लिए, 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। विभिन्न एचईआई से अर्जित डिजिटल रूप से अकादमिक क्रेडिटों के लिए एक एकेडमिक बैंक आफक्रेडिट की स्थापना की जानी है जिससे कि इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित एवं गणना की जा सके।

शेष पृष्ठ 4 पर....

संपादकीय

नए कानून से सशक्त होगा उपभोक्ता

पिछले दिनों नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ। उपभोक्ता हितों एवं अधिकारों का संरक्षण करने वाले कानून को नया रूप देते हुए और अधिक मजबूत और सशक्त किया गया है। नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा। इसके लिए कानून में विभिन्न अधिसूचित नियमों व उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी अथवा नकली सामान वाले उत्पादों के बनाने या बेचने पर सजा जैसे प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। नए कानून में माल तथा सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों, प्रतिष्ठानों आदि पर प्रत्यक्ष जिम्मेदारी डाली गई है कि वह उपभोक्ताओं को गुणवत्तापर्ण माल एवं संतोषप्रद सेवाएं प्रदान करें। ऐसा नही करने अथवा माल अथवा सेवा दोष होने पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान भी किया गया है। नया अधिनियम उत्पाद दायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है और मुआवजे के किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को इसके दायरे में लाता है। उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के विभिन्न विकल्पों को भी रखा गया है, शिकायत निवारण की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। साथ ही मध्यस्थता के माध्यम से मुकदमों के निपटान का भी विकल्प दिया गया है। नया उपभोक्ता कानून उपभोक्ता हितो एवं अधिकारों को और मजबूत करने वाला है। लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण शीघ्र समय पर हो सके। वर्तमान जनसंख्या तथा बाजारवाद के कारण उपभोताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। साथ ही माल एवं सेवा दोष की शिकायतें भी बढ़ी है। इन सबके लिए उपभोक्ता अदालतों की संख्या को भी बढ़ाया जाना चाहिए। इससे उपभोक्ताओं को शीघ्र तथा उचित समय पर न्याय मिल सकेगा।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं का परिणाम घोषित

जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम 28 जुलाई को शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल स्थित सभागार में घोषित किया। कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम इस साल 80.63 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष की तुलना में परीक्षा परिणाम 0.78 प्रतिशत अधिक रहा। पिछले साल 10वीं का परीक्षा परिणाम 79.85 प्रतिशत रहा था। डोटासरा ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते शिक्षा विभाग में शेष रही परीक्षाओं के पेपर विभाग ने करवाने की पहल की। उन्होंने कोरोना से संबंधित गाईड लाईन की पूर्ण पालना करते हुए बोर्ड की शेष रहे पेपर की परीक्षाएं करवाने और एक माह की रिकॉर्ड अवधि में पूर्ण पारदर्शिता से परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए टीम एमजूकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो.जारोली तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने बोर्ड की परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 11 लाख 78 हजार 570 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। इनमें से 11 लाख 52 हजार 201 ने परीक्षा दी। परीक्षा में 9 लाख 29 हजार 45 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में 79.99 छात्र और 81.41 छात्राएं हैं। 88.27 प्रतिशत के साथ झुंझुनूं पहले, 87.64 प्रतिशत के साथ सीकर दूसरे, 87.2 प्रतिशत के साथ नागौर तीसरे स्थान पर रहा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा का जयपुर जिले का परिणाम इस बार 81.37 प्रतिशत रहा। परिणाम के मामले में जयपुर प्रदेश में 13वें स्थान पर रहा। पिछले साल 82.24 फीसदी परिणाम के साथ जयपुर का प्रदेश में पांचवां स्थान था। जयपुर में इस साल 122731 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। इनमें से 120673 ने परीक्षा दी थी। जयपुर में 98196 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वालों में परीक्षार्थियों में 51912 छात्र और 46284 छात्राऐं हैं। छात्रों का परिणाम 80.01 प्रतिशत और छात्राओं का परिणाम 82.96 प्रतिशत रहा। डोटासरा ने इसके साथ ही प्रवेशिका मुख्य परीक्षा का भी परिणाम जारी किया। उन्होंने बताया कि प्रवेशिका का परीक्षा परिणाम 56.01 प्रतिशत रहा। इस परीक्षा में कुल 6 हजार 972 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे जिनमें से 6 हजार 799 ने परीक्षा दी। परीक्षा में 3 हजार 808 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इनमें 56.32 प्रतिशत छात्राएं और 55.65 प्रतिशत छात्र है।

विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को सम्पूर्ण राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया। 31 जुलाई को गहलोत ने आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों की काफी लम्बे समय से चली आ रही मांग पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया। उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोग धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

आदिवासी समाज के लोग इस दिन को आदिवासी परंपराओं और रीति-रिवाजों के उत्सव के रूप में मनाते हुए अपने देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करते हैं तथा सामाजिक उत्सव के रूप में सामूहिक रूप से खुशियों का इजहार करते हैं। वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से आदिवासी दिवस के अवसर पर ऐच्छिक अवकाश घोषित है। मुख्यमंत्री को राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष विधायक रामकेश मीना, अन्य विधायकों महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, दयाराम परमार, रामनारायण मीणा, लाखन सिंह, रमीला खडिया, गोपाललाल मीणा, निर्मला सहरिया, लक्ष्मण मीणा, राजकुमार रोत, रामप्रसाद, गणेश घोघरा, कांति प्रसाद, रामलाल मीना, इन्द्रा मीना, जौहरीलाल मीणा सहित आदिवासी समाज के अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस दिन सम्पूर्ण राजस्थान में ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की थी। गहलोत ने आदिवासी समाज के जन-प्रतिनिधियों की इस मांग को स्वीकार करते हुए विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

12 सितम्बर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन निरस्त

जयपुर। वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की ओर से 12 सितम्बर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन निरस्त कर दिया है। प्राधिकरण के उप सचिव (प्रशासन) रजनीकान्त शर्मा ने 24 जुलाई को जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण 12 सितम्बर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नहीं किया जा सकता। 8 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब ऑनलाईन 22 अगस्त को आयोजित होगी तथा चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर 2020 को यथावत रहेगा।

1000 पौधे बांटकर की शुरुआत

जयपुर। पर्यावरण संरक्षण मोर्चा व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा 24 जुलाई को रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल के बाहर 1000 पौधों का निशुल्क वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक पुष्पेंद्र भूटानी के अनुसार आने वाले दिनों में अन्य संस्थाओं के साथ जयपुर शहर में करीब 51000 पौधों का निशुल्क वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में तुलसी त्रिलोकानी, युवा जागृति संगठन अध्यक्ष दौलत त्रिलोकानी, अभिनंदन मोदी, राजन सरदार, करन अलवानी, हर्षिता शर्मा, अनिल सोनी, मनीष विजयवर्गीय, रिया लोकवानी, नरेश विजयवर्गीय, रेखा अग्रवाल, सुनीता तवर, अल्पना माथुर, हेमलता, प्रवीण शमा,. विनोद कुमार, रोहित बेदी, डॉ. नरेश चंद्र शर्मा, गिरधारी कृष्णानी सहित कई संस्थानों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके अलावा सहयोगी संस्थान लायंस क्लब मेट्रो जयपुर, अपराजित फाउंडेशन, लव त्रिलोकानी सामाजिक सेवा संस्थान, देने का सुख संस्थान, श्री विजयवर्गीय समाज, अमृत रूप, नई चेतना नई सोच संस्थान, श्री महर्षि दाधीच रोटी बैंक, किचन गार्डन एसोसिएशन, वी केयर सोसाइटी, महिला जन जागृति मंडल, साया मिशन हेल्पिंग हेड फाउंडेशन, जयसिंह पुरा खोर सिंधी विकास समिति, स्वास्थ्य स्वास्तिक सेवा ट्रस्ट सहित करीबन 25 संस्थाओं को इसमें सहयोग है।

प्रताप नगर में बनेगा प्रदेश का पहला कोचिंग हब

जयपुर। शहर के प्रताप नगर क्षेत्र में प्रदेश का पहला कोचिंग हब बनेगा। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने 23 जुलाई को बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर की प्रतिष्ठित प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर 16 में लगभग 70 हजार विद्यार्थियों की क्षमता वाले प्रदेश के पहले कोचिंग हब का निर्माण किया जाएगा। यह कोचिंग हब 65 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। इस कोचिंग हब की खास बात यह होगी कि यहां उपलब्ध भूमि के 40 प्रतिशत क्षेत्र मंब ही निर्माण कराया जाएगा, 60 प्रतिशत क्षेत्र खुला ही रहेगा। इस कोचिंग हब का निर्माण दो फेज में कराया जाएगा। कोचिंग हब के निर्माण पर 231 करोड़ रूपये का खर्च होगा और मंडल को इस प्रोजेक्ट से करीब 416 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा। कोचिंग हब के निर्माण से पूर्व परियोजना की वित्तीय फिजिबिलिटी का एमएनआईटी से परीक्षण भी कराया गया, जिसमें एमएनआईटी ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह वायबल एवं उपयोगी माना है।

ऐसा होगा कोचिंग हब

कोचिंग हब में कुल 8 सांस्थानिक टावर बनेंगे। इनमें प्रथम फेज में 5 और द्वितीय फेज में 3 टावर बनेंगे। प्रत्येक टावर 7 मंजिल का होगा, जिसमें कुल 1 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल निर्मित किया जाएगा। इन सभी भवनों के नीचे भूतल में पार्किंग विकसित की जाएगी। निर्माण के बाद कोचिंग संस्थानों को प्रत्येक निर्मित मंजिल बेची जाएगी। कोचिंग हब में 50 हजार वर्गफीट क्षेत्र में 7 मंजिला लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही 800 व्यक्तियों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। छात्रों को रहने के लिए 1100-1100 वर्गमीटर के हॉस्टल व पीजी के लिए 4 भूखंड विकसित किए गए हैं। यह प्राजेक्ट 42 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। कोचिंग हब का निर्माण प्रारंभ हो गया है, जो कि जो कि दिसम्बर 2023 में पूर्ण हो जाएगा। इसका पहला फेज सितम्बर, 2022 में पूरा हो जाएगा।

विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बनेगा वैलनेस सेंटर

पवन अरोड़ा के अनुसार कोचिंग हब में विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए यहां वैलनेस सेंटर बनाया जाएगा। अभी विभिन्न कोर्सेज और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में तनाव रहता है, जिसकी वजह से वे कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। इस वैलनेस सेंटर में उन्हें तनाव से मुक्त रखने के लिए काउंसलर्स होंगे और इसके साथ ही ही यहां हेल्थ कोच भी उपलब्ध रहेंगे। साथ ही दो फुड कोर्ट, चिकित्सालय, दुपहिया और चारपहिया वाहन पार्किंग, जॉगिंग ट्रेक, बास्केटबॉल/टेनिस बॉल कोर्ट, ओपन जिम, सीसीटीवी कैमरे, सोलर एनर्जी सिस्टम, प्रत्येक ब्लॉक में सेनेटाइजर स्टेशन जैसी सभी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा धोखाधड़ी पर होगा इस्तगासा दायर

जयपुर। रजिस्ट्रार, सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने कहा है कि स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के स्थिति में शिकायतकर्ता के परिवाद को उप रजिस्ट्रार 15 सितम्बर तक जिला सैशन एवं जिला न्यायाधीश कोर्ट (डेजीग्नेटेड कोर्ट) में इस्तगासा दायर करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि उप रजिस्ट्रार जिले से संबंधित सभी शिकायतों पर कार्यवाही करें। अग्रवाल 28 जुलाई को अपेक्स बैंक स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से जिलों में पदस्थापित अधिकारियों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि इस्तगासा दायर होने के पश्चात् परिवादियों की ओर से सरकारी वकील पैरवी करेंगे। इस संबंध में विधि विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि दी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, 2019 के तहत कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए। रजिस्ट्रार ने कहा कि यदि कोई स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी अवसायाधीन है तो भी तत्कालीन जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ इस्तगासा दायर कर एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जाए। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले सोसायटी के संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफकार्यवाही हो। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों पर शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के अवसायकों को निर्देश दिए कि एक्ट के तहत कार्यवाही करें। अग्रवाल ने कहा कि जिलों में धारा 55 के तहत प्रकरणों की जांच समय पर पूरी करें एवं शीघ्र ही एक टूल विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य भर में धारा 55 के तहत हो रही जांच प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके। उन्होंने कहा कि यह भी तथ्य ध्यान में आया है कि कई सहकारी समितियों की ऑडिट लम्बित है।

जल जीवन मिशनः रोजाना दिए गए एक लाख नल कनेक्शन

नई दिल्ली। जल जीवन मिशन का शुभारम्भ अगस्त, 2019 में हुआ था और 2019-20 के 7 महीनों में लगभग 84.83 लाख ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के बीच अनलॉक-1 के बाद वर्ष 2020-21 में लगभग 45 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस प्रकार, रोजाना लगभग 1 लाख घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे काम की गति का पता चलता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, हर संपदा की जिओ-टैगिंग की जा रही है और कनेक्शनों को 'परिवार के मुखिया' के 'आधार' से जोड़ा जा रहा है।

मिशन की शुरुआत के बाद राज्यों से बेसलाइन डाटा को पुनः सत्यापित करने का अनुरोध किया गया था, जिसके तहत पता चला कि देश के 19.04 करोड़ ग्रामीण घरों में 3.23 करोड़ घरों को पहले ही नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। शेष 15.81 करोड़ घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं। इस प्रकार समयबद्ध तरीके से 16 करोड़ घरों को इस योजना में कवर किया जाना है, वहीं पहले से उपलब्ध कनेक्शनों की कार्यशीलता भी सुनिश्चित करनी है। इसका मतलब है कि हर साल 3.2 करोड़ घरों को कवर किया जाना है, जिसके लिए दैनिक आधार पर 88,000 नल कनेक्शन उपलब्ध कराने होंगे। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य/संघ शासित राज्य हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस दिशा में, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का प्रदर्शन शानदार रहा है। 2020-21 में, जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए कुल 23,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वर्तमान में, मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित राज्यों को 8,000 करोड़ रुपये का केन्द्रीय कोष उपलब्ध है। इसके अलावा, 2020-21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान का 50 प्रतिशत जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए निर्धारित किया गया है, जो 30,375 करोड़ रुपये के बराबर है। इस धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा 15 जुलाई, 2020 को जारी कर दिया गया है। इससे उन्हें गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के लिए बेहतर योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, परिचालन और रखरखाव में सहायता मिलेगी, जिससे लोगों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पानी मिल सके।

मिशन के तहत यूएन एजेंसियों सहित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, एनजीओ/सीबीओ, सीएसआर संगठनों, ट्रस्टों, फाउंडेशंस आदि के साथ भागीदारी की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। सरकार

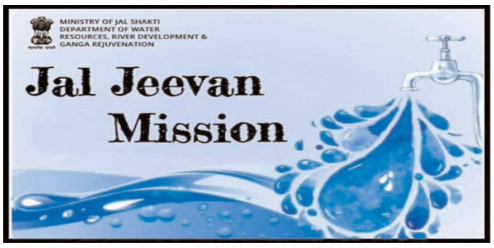

को उम्मीद है कि पानी अगला जनांदोलन बनकर सामने आएगा और यह हर किसी की जिम्मेदारी बन जाएगा, जिसे अभी तक सिर्फ सरकारी क्षेत्र के दायित्व के रूप में देखा जाता रहा है। इसीलिए मिशन के तहत सभी के लिए पेयजल सुरक्षा हासिल करने के लिए विभिन्न संस्थानों/व्यक्तियों के साथ भागीदारी तथा मिलकर काम करने पर जोर देता है। जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक देश में हर ग्रामीण घर को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में सुझाई गई गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के साथ भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2019 को इस मिशन की घोषणा की थी, जिसके लिए 25 दिसंबर, 2019 को परिचालन दिशानिर्देश जारी कर दिए गए थे। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय मिशन इसके कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित राज्यों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। मार्च-मई, 2020 के दौरान सघन ग्राम वार विश्लेषण कार्य किया गया था, जिसके आधार पर राज्यों की कार्य योजनाएं तैयार की गईं। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्यों और संघ शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों के साथ नियमित रूप से बैठक कर रहे हैं। राज्यों ने गांवों, विकासखंडों और जिलों में 100 प्रतिशत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) कवरेज और अंततः राज्यों को 'हर घर जल राज्य' बनाने की योजना तैयार की है।

विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों ने 2024 से पहले ही मिशन के लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। बिहार, गोवा, पुडुचेरी और तेलंगाना ने 2021 में, इसी प्रकार गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, पंजाब, सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्यों/संघ शासित राज्यों ने 2022 में इस कार्य को पूरा करने की योजना बनाई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ ने 2023 में, असम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 2024 तक 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने की योजना बनाई है।

इस मिशन का उद्देश्य सार्वभौमिक कवरेज हासिल करना है और इसमें 'समानता और समावेशन' के सिद्धांत पर जोर दिया गया है, जिससे गांव में हर परिवार को उनके घर पर ही नल कनेक्शन मिले और 'कोई भी इससे वंचित न रहे।' इस क्रम में, राज्य एससी/एसटी बहुल गांवों, आकांक्षी जिलों, सूखा प्रभावित और रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा पानी की खराब गुणवत्ता वाली बस्तियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस/एक्यूट इंसेफ्लाइटिस (जेई/एईएस) से प्रभावित जिलों पर विशेष जोर दिया गया है, जो प्रभावित जिलों में शिशु मृत्यु की वजहों में से एक है। अभी तक 5 राज्यों असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 61 जेई/एईएस प्रभावित जिलों में 3.01 करोड़ घर हैं। इनमें से 27.32 लाख (9 प्रतिशत) घरों में ही एफएचटीसी हैं और बाकी 2.74 करोड़ घरों (91 प्रतिशत) को जेजेएम के अंतर्गत एफएचटीसी उपलब्ध कराए जाने हैं।

जेजेएम के अंतर्गत खराब गुणवत्ता वाले पानी से प्रभावित बस्तियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि फ्लूरोसिस और आर्सेनिकोसिस के दुष्प्रभावों में कमी लानी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंतरिम आदेश के प्रकाश में, राज्यों को दिसंबर, 2020 तक आर्सेनिक और फ्लूरॉइड प्रभावित बस्तियों के सभी घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। एक विकेंद्रीयकृत कार्यक्रम होने के कारण, ग्राम स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला सदस्यों के साथ ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां (वीडब्ल्यूएससी)/ग्राम पंचायत की उप समिति के रूप में पानी समिति का गठन किया जा रहा है, जो जल संसाधन विकास, आपूर्ति, ग्रे वाटर (उत्सर्जित जल) प्रबंधन और परिचालन व रखरखाव पर विचार करते हुए ग्राम कार्य योजनाएं (वीएपी) तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। जेजेएम का उद्देश्य ग्राम पंचायत औरध् या उसकी उप समिति के सदस्यों की क्षमता बढ़ाना भी है, जिससे गांव में एक 'उत्तरदायी' और 'जिम्मेदार' नेतृत्व तैयार किया जा सके, जो गांव में जल आपूर्ति आधारभूत ढांचे का प्रबंधन, योजना, परिचालन एवं रखरखाव जैसे काम कर सके। वहीं कई राज्यों ने पानी समिति के सदस्यों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का काम पहले ही शुरू कर दिया है।

जेजेएम के अंतर्गत, स्रोतों की मजबूती, जल संरक्षण, भूमिगत जल को बढ़ाना, जल शोधन और ग्रे वाटर प्रबंधन आदि के लिए निचले यानी ग्रामध् ग्राम पंचायत के स्तर पर केन्द्रीय योजना पर जोर दिया गया है। इसके लिए मनरेगा के संसाधनों, 15वें वित्त आयोग के पीआरआई के लिए अनुदानों, एसबीएम (जी), जिसका खनिज विकास कोष, सीएसआर कोष, स्थानीय क्षेत्र विकास कोष आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।

जेजेएम के अंतर्गत ग्रामीणों राजगीरी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल पहलुओं, मोटर मरम्मत आदि 'कौशल' को भी बढ़ावा दिया गया है। कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल कामगारों को जोड़ने की संभावनाओं को देखते हुए जेजेएम को गरीब कल्याण रोजगार योजना (जीकेआरए) से भी जोड़ा गया है, जिसके तहत सार्वजनिक ढांचा तैयार करने के काम में प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना को 6 राज्यों के 25,000 गांवों में लागू किया जा रहा है।

पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से जल आपूर्ति की निगरानी एक महत्वपूर्ण पहलू है और इन प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने और उन्हें एनएबीएल द्वारा मान्यता दिलाने पर जोर दिया गया है। राज्यों को आम जनता के लिए जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं खोलनी हैं, जिसके लिए ग्रामीण महिलाएं आगे आ सकती हैं और अपने घरों में आने वाले पानी की गुणवत्ता की जांच करा सकती हैं। समुदाय पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए सक्षम हो रहे हैं, जिसके लिए गांवों में पांच ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया है और इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीण गांवों में ही पानी की जांच कर सकते हैं। इसका उद्देश्य पीने के पानी के लिए एक विश्वसनीय व्यवस्था तैयार करना है। जल गुणवत्ता की निगरानी के तहत, प्रत्येक स्रोत की साल में एक बार रासायनिक मानदंडों पर और दो बार जीवाणु संबंधी संदूषण (मानसून से पहले और बाद में) के लिए परीक्षण जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के वित्तीय समावेशन, घरों, सड़क, स्वच्छ ईंधन, बिजली, शौचालय, जल जीवन मिशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में 'जीवन सुगमता' सुनिश्चित के आह्वान के क्रम में हर ग्रामीण को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण आबादी के जीवन में सुधार के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा। मिशन से महिलाओं और बालिकाओं पर मेहनत का बोझ कम होगा, जिन पर मुख्य रूप से पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होती है।

राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए होंगे प्रभावी प्रयास

जयपुर। राजस्व मंडल के अध्यक्ष डॉ. आर. वेंकटेश्वरन ने कहा कि राजस्व मंडल में लंबित राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। डॉ. वेंकटेश्वरन ने राजस्व मंडल अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के पश्चात 16 जुलाई को अजमेर में राजस्व मंडल की विविध गतिविधियों की समीक्षा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाते हुए नवीन दर्ज होने वाले प्रकरणों एवं पुराने बकाया प्रकरणों के निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों में रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शत प्रतिशत उपयोग करने की बात कही। उन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को महत्वपूर्ण बताते हुए विशेष ध्यान देकर इसे जनहित में प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया। डॉ. वेंकटेश्वरन ने राजस्व विभागीय दायित्वों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के मद्देनजर निचले स्तर तक निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि कार्मिकों की पदोन्नति या वरिष्ठता सूचियां अथवा जांच जैसे मुद्दों को भी शीघ्रता से निपटाया जाकर कार्मिकों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता है। मंडल अध्यक्ष ने राजस्व मंडल की विभिन्न शाखाओं व अनुभागों का अवलोकन कर प्रभारी अधिकारियों से उनकी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली उन्होंने कोरोना की गंभीरता को देखते हुए सभी कार्मिकों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने विविध पत्रावलियों के वर्गीकरण के साथ ही उनका समयबद्ध निस्तारण करने पर भी जोर दिया। अध्यक्ष ने राजस्व मंडल परिसर में स्वच्छता का बेहतरीन वातावरण बनाने एवं विद्युत बचत के प्रभावी उपाय अपनाने की भी जरूरत बताई। अध्यक्ष को अतिरिक्त रजिस्ट्रार आशुतोष गुप्ता, उप रजिस्ट्रार प्रिया भार्गव, श्रीमती बीना महावर, अतिरिक्त निदेशक रेखा शर्मा, वित्तीय सलाहकार सूरज प्रकाश मोंगा, तहसीलदार शंकरलाल आदि ने अपने-अपने अनुभाग से संबंधित दायित्वों एवं प्रगति की जानकारी दी।

नव निर्वाचित सांसदों ने ली शपथ

जयपुर। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने 22 जुलाई को नई दिल्ली में राज्यसभा के लिए राजस्थान से नवनिर्वाचित सांसद के.सी. वेणुगोपाल, राजेंद्र गहलोत, नीरज डांगी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोविड-19 महामारी के कारण अंतर सत्र के दौरान शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सभापति ने विभिन्न राज्यों से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर आए 61 सदस्यों में से 45 को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

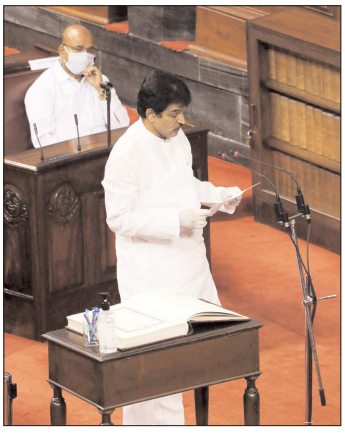

राजस्थान से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित केरल के कन्नूर में जन्मे के.सी. वेणुगोपाल 2009 से 2019 के बीच केरल से लोकसभा के सदस्य रहे तथा डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में उन्होंने सिविल एविएशन राज्यमंत्री तथा पावर राज्यमंत्री के पदों पर अपनी सेवाएं दी। वेणुगोपाल 1996, 2001 एवं 2006 में केरल विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए राजेंद्र गहलोत 1990 से 1998 तक सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं। नीरज डांगी राजस्थान से पहली बार राज्यसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए हैं। शैक्षणिक तौर पर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए डांगी ने कहा कि राज्यसभा में हम राजस्थान के हितों को प्रमुखता से उठाने तथा राज्य की जनता के विकास के लिए निरंतर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के समक्ष राजस्थान के विकास से जुड़ी हुई लंबित परियोजनाओं को जल्द से जल्द पारित करवाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 हुआ लागू

नई दिल्ली। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, 20 जुलाई से लागू हो गया। केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने 20 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनायेगा। इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों व उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी/नकली सामान वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा जैसे प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना करना शामिल है। सीसीपीए को उपभोक्ता अधिकारों और संस्थानों की शिकायतों/ अभियोजन के उल्लंघन की जांच करने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार चलनों और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का आदेश देने, निर्माताओं/ समर्थनकर्ताओं/ भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। इस अधिनियम में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अनुचित व्यापार चलन को रोकने के लिए नियम भी शामिल किए जायेंगे। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के लिए गजट अधिसूचना और ई-कॉमर्स के अनुचित व्यापार चलन को रोकने के लिए नियम प्रकाशनधीन हैं।

पासवान ने यह भी कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है जोकि उपभोक्ता को अपने प्लेटफॉर्म पर खरीददारी करने से पहले उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर उसका निपटारा करना होगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि नया अधिनियम उत्पाद दायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है और मुआवजे के किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को इसके दायरे में लाता है। पासवान ने आगे बताया कि उपभोक्ता आयोगों म ` ` उपभोक्ता विवाद अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रावधान इस नए अधिनियम में हैं। इनमें कई बातें शामिल हैं जैसे कि - राज्य और जिला आयोगों का सशक्तिकरण ताकि वे अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकें, उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने और उन उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने में सक्षम करना जिनके अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति के आवास का स्थान आता है, सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अगर 21 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्यता का सवाल तय नहीं हो पाए तो शिकायतों की स्वीकार्यता को मान लिया जायेगा। नए अधिनियम में मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। ये इस अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल करेगा। जहां भी शुरुआती निपटान की गुंजाइश मौजूद हो और सभी पक्ष सहमत हों, वहां मध्यस्थता के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लिखित की जाएगी। उपभोक्ता आयोगों के तत्वावधान में स्थापित किए जाने वाले मध्यस्थता प्रकोष्ठों में मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले निपटान के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमों के अनुसार 5 लाख रुपये तक का मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज करने के लिए भी इसमें प्रावधान है, न पहचाने जाने वाले उपभोक्ताओं की देय राशि को उपभोक्ता कल्याण कोष (सीडब्ल्यूएफ) में जमा किया जाएगा। नौकरियों, निपटान, लंबित मामलों और अन्य मसलों पर राज्य आयोग हर तिमाही केंद्र सरकार को जानकारी देंगे।

पासवान ने बताया कि ये नया अधिनियम उत्पाद दायित्व की अवधारणा को भी लाया है, और मुआवजे के लिए किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को अपने दायरे में लाता है। इस अधिनियम में एक सक्षम न्यायालय द्वारा मिलावटी / नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा का प्रावधान है। पहली बार दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अदालत दो साल तक की अवधि के लिए व्यक्ति को जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को निलंबित कर सकती है, और दूसरी बार या उसके बाद दोषी पाए जाने पर उस लाइसेंस को रद्द कर सकती है।

इस नए अधिनियम के तहत सामान्य नियमों के अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियम, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नियम, राज्य / जिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियम, मध्यस्थता नियम, मॉडल नियम, ई-कॉमर्स नियम और उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया विनियम, मध्यस्थता विनियम और राज्य आयोग एवं जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी विनियम भी हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन के लिए नियम भी प्रदान किए गए हैं। ये परिषद उपभोक्ता मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की जाती है और उपाध्यक्ष के रूप में संबंधित राज्य मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से 34 अन्य सदस्य होते हैं। तीन वर्ष के कार्यकाल वाली इस परिषद के पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और एनईआर, प्रत्येक क्षेत्र से दो राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होंगे। विशिष्ट कार्यों के लिए इन सदस्यों के बीच कार्य समूह का भी प्रावधान है।

शेष पृष्ठ 1 का.....

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दी मंजूरी

देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के माडलों के रूप में आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) स्थापित किए जाएंगे पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा।

विवेकपूर्ण संस्थागत संरचना

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध कराने के जरिये बड़े, साधन संपन्न, गतिशील बहु विषयक संस्थानों में रूपांतरित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की परिभाषा में संस्थानों की एक विस्तृत श्रेणी होगी जिसमें अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालयों से शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल होंगे। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए एक राज्य वार तंत्र की स्थापना की जाएगी। ऐसी परिकल्पना की जाती है कि कुछ समय के बाद प्रत्येक महाविद्यालय या तो एक स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय में विकसित हो जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय बन जाएंगे।

प्रेरित, ऊर्जाशील और सक्षम संकाय

एनईपी सुस्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शी नियुक्ति, पाठ्यक्रमअध्यापन कला डिजाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने, संस्थागत नेतृत्व के जरिये प्रेरक, ऊर्जाशील एवं संकाय के क्षमता निर्माण की अनुशंसा करता है। इन मूलभूत नियमों का पालन न करने वाले संकायों को जबावदेह ठहराया जाएगा।

अध्यापक शिक्षण एवं परामर्श मिशन

एनसीईआरटी के परामर्श से, एनसीटीई के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, एनसीएफटीई 2021 तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक, शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। गुणवत्ताविहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान (टीईओ) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें उत्कृष्टता वाले वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा पूल होगा। जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले लोग शामिल होंगें। जो विश्वविद्यालय या कॉलेज के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श अथवा व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे।

छात्रों के लिए वित्तीय सहायता

एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहां छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ऑनलाइन - डिजिटल शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी

हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई-शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एमएचआरडी में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। वहीं सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान-प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों में, प्रौद्योगिकी का सही रूप से एकीकरण करके, उसका उपयोग कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार लाने, पेशेवर शिक्षकों के विकास को समर्थन प्रदान करने, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए किया जाएगा।

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा

सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए, एनईपी द्वारा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई), राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाध् स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।

शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग तथा छात्र और संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और हमारे देश में परिसरों को खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया गया है जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 यूएलबी, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। एमएचआरडी द्वारा, जनवरी 2015 से इस अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरूआत की गई। मई 2016 में, नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय टी.एस. आर. सुब्रमण्यन, पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। उसने इसके आधार पर, मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 में, प्रख्यात वैज्ञानिक, पद्म विभूषण डॉ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई, 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा, एमएचआरडी की वेबसाइट पर और माईगव इनोवेट पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिसमें आम नागरिक सहित हितधारकों के विचारों, सुझावो, टिप्पणियों को प्राप्त किया गया।

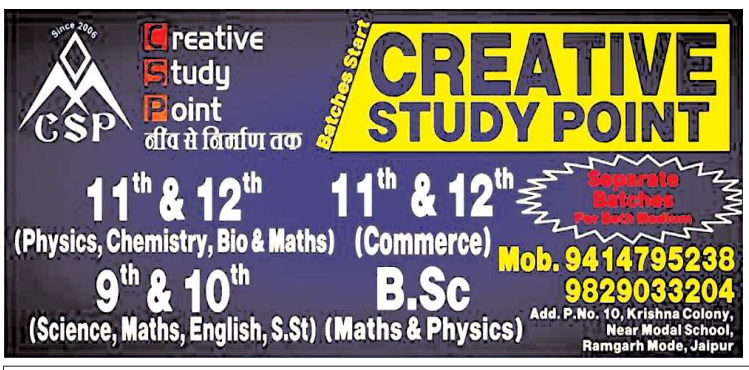

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती आशा के लिये महारानी प्रिन्टर्स प्लाट नं. 17, माँ वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 5-क-41, हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर जयपुर राज. से प्रकाशित। सम्पादक-राजेश कुमार Email: mahanagarstambh@gmail.com